248/21

	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
2/9/22	दोनो पक्षों के अधिवक्ता उप.। बहस हेतु अवसर चाह रहे हैं जो दिया जाकर पत्रावली वास्ते बहस हेतु दि 16/11/22 को पेश हो। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	
16/11/22	पत्रावली आज पेश हुई। S.D.O.साहब अन्य कार्यो में व्यस्त होने से पत्रावली दिनांक 24/1/23 को पेश हो।	
24/1/23	पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु/पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 16.2.2023 को पेश हैं।	
16/2/2023	पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु/पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यो मे व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 12.4.2023 को पेश हैं।	
12.4.2023	पक्षकारान के अधिवक्ता उप./अनु/पीठासीन अधिकारी दिगर प्रशासनिक कार्यो में व्यस्त हैं पत्रावली वास्ते बहस हेतु दिनांक 07.6.2023 को पेश हैं।	
07/6/2023	वकील वादी उपस्थित। प्रतिवादी संख्या 01 के वकील उपस्थित। शेष प्रतिवादी एकतरफा। दोनो पक्षो अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। और बहस में निवेदन किया कि राजीनामा के अनुसार दावा स्वीकार फैसला चार्ज। सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:25:51 IST
Reason: SelfAttested

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
	किया जाता है, तो दोनो पक्ष सहमत हुए। हमने उभयपक्ष अधिवक्ताओं की बहस सुनी और बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त रेकर्ड दस्तावेजात व राजीनामा का गम्भीरता पूर्वक अवलोकन किया। जिसमें पाया वादग्रस्त भूमि मूल ग्राम कीटनोद वर्तमान राजस्व ग्राम जानकी की ढाणी स्थित खसरा नम्बर 526 व 529 वक्त सेटलमेन्ट वादी के परदादा किरखा वल्द नाथा जाति भील सा० देह खातेदार के नाम इन्द्राज हुई थी, जिससे स्पष्ट है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और पुश्तैनी भूमि में पौत्र-पौत्रिया का भी हक हिस्सा निहित होता है और वादी के परदादा फोत होने पर उसी सोना के नाम इन्द्राज हुई और सोना के फोत होने पर वादी के पिता भीमा को विरासतन में खातेदारी प्राप्त हुई। इस प्रकार वादी वादग्रस्त भूमि में खातेदारी घोषित करवाने का हकदार है। राजीनामा अनुसार दावा डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है, क्योंकि प्रतिवादी संख्या 01 ने भी स्वीकार किया है कि वादग्रस्त भूमि पुश्तैनी है और वादी उसका जाइन्दा पुत्र है और मौके पर कब्जा-काश्त है। वाद में पक्षकारान राजीनामा मुताबिक डिक्री करवाने
	विवेक व्यास सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Viv
Date: 2023.06.29 14:
Reason: SelfAttested

हुक्म या कार्यवाही अय इतिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
करवाने या कहना है। उपरोक्त विवेचन अंतर्गत दावा वादी राजीनामा स्वीकार करने योग्य है। लिहाजा वादी का दावा वादी राजीनामा अनुसार स्वीकार किया जाकर ग्राम- बामणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा नम्बर 1082/529 हैक्ट. 1084/526 कृषि में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 (नीलामी) के साथ सहखातेदार करार देते हुए वादी का 1/6 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है। बेचान प्रभावित रहेगें। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार नियमानुसार रेकर्ड में अमल-दरामद की कार्यवाही किया जाकर सूचित करावें। डिक्री पर्चा जारी हो। निर्णय लिखा जाकर सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (signature) सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:25:51 IST
Reason: SelfAttested

मूलवाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा

पीठासीन अधिकारीः—श्री विवेक व्यास, आर.ए.एस.

अनवान

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
नारायणराम पुत्र भीखाराम कौम भील निवासी कीटनोद तहसील पचपदरा व जिला बाड़मेर		1.भीखाराम पुत्र सोनाराम 2.धुडा पुत्र भीखारामजी 3.भंवरा पुत्र भीखारामजी के कायम मुकाम :— 3/1.खेताराम पुत्र भंवराजी 3/2. कैलाश पुत्र भंवराजी 4.मीठाराम पुत्र भीखारामजी 5.जेठाराम पुत्र भीखारामजी 6.जैसाराम पुत्र मिसराजी 7.भंवरलाल पुत्र हरजीरामजी 8.लूम्बाराम पुत्र नेकारामजी 9.देवाराम पुत्र ढगरारामजी 10.पोलाराम पुत्र पेमारामजी कौम भील निवासी कीटनोद तहसील पचपदरा 11.राजस्थान सरकार जरिये भूमिधारक तहसीलदार पचपदरा व जिला बाड़मेर

राजस्व वाद बाबतः—88,188 आर.टी.एक्ट

मुकदमा नम्बर 248/2021

निर्णय दिनांक :—07.06.2023

वादी की ओर से श्री चेलाराम कुमावत अधिवक्ता की उपस्थिति व प्रतिवादी संख्या संख्या 01 की ओर की ओर से श्री पंकज सांखला अधिवक्ता की उपस्थिति एवं प्रतिवादी संख्या 02 से 11 एकतरफा इस वाद में आज तारीख 07.6.2023 को श्री विवेक व्यास (नाम पीठासीन अधिकारी) उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर बालोतरा के समक्ष अन्तिम निपटारे के लिए पेश होने पर,निर्णय किया जाता है और **डिक्री दी जाती है किः**—वादी का वाद जरियें राजीनामा स्वीकार किया जाकर ग्राम बामणी तहसील पचपदरा की खेत खसरा संख्या 1082/529 व 1084/526 भूमि में वादी को प्रतिवादी संख्या 01 (भीखाराम) के साथ सहखातेदार करार देते हुए वादी का 1/6 हिस्सा खातेदारी घोषित किया जाता है। बेचान अप्रभावित रहेंगें। तहसीलदार पचपदरा को निर्देशित किया जाता है कि तदनुसार रेकर्ड में नियमानुसार अमल दरामद किया जाना सुनिश्चित करावें। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें।

यह आज तारीख 07.6.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2023.06.29 14:25:51 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर (S.D.O.) बालोतरा

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर
(एस.डी.ओ.)बालोतरा